न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी: अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:–58/2014 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. मदन लाल पिता लालचन्द जी छीपा, उम्र वयस्क निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. कैलाश पिता लालचन्द जी छीपा, उम्र वयस्क निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. दुर्गा देवी पत्नी बंशीलाल जी छीपा, उम्र वयस्क निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. सपना पुत्री बंशीलाल जी छीपा, उम्र वयस्क निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थीगण

बनाम

1. सोहन लाल पिता मेघराज जी छीपा आयु 84 वर्ष निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. पृथ्वीराज पिता मेघराज जी छीपा आयु 75 वर्ष निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. नारायण लाल पिता कन्हैया लाल उर्फ कानमल जी छीपा आयु 62 वर्ष निवासी पुर हाल बापू नगर भीलवाड़ा
4. शंकर लाल पिता कन्हैया लाल उर्फ कानमल जी छीपा आयु 58 वर्ष निवासी पुर हाल बापू नगर भीलवाड़ा
5. धापू देवी बेवा स्व0 कन्हैया लाल उर्फ कानमल जी छीपा उम्र 96 वर्ष निवासी पुर, हाल बापू नगर भीलवाड़ा
6. रूप लाल पिता लालचन्द जी छीपा उम्र 70 वर्ष निवासी पुर हाल जूना रावपुरा, पौवा फेक्ट्री के सामने, नडीयाद जिला खेड़ा, गुजरात
7. सीमा देवी पत्नी राकेश सिंघवी उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एंव जिला भीलवाडा
8. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय भीलवाड़ा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा

– विपक्षीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा–88,89, 92क, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>बाबत् घौषणा इन्द्राज दुरूस्थी व अस्थाई निषैधाज्ञा</u>

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित अधिवक्ता–

1. श्री सुरेश अहीर–प्रार्थी
2. श्री अमित कोठारी – अप्रार्थी संख्या 7

निर्णय दिनांक 11/9/25

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अम्बा लाल कुमावत द्वारा दिनांक 10.11.2014 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को रजिस्टर क्रम संख्या 58/2014 पर दर्ज किया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 12.11.2024 को जारी की गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

11/9/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:-

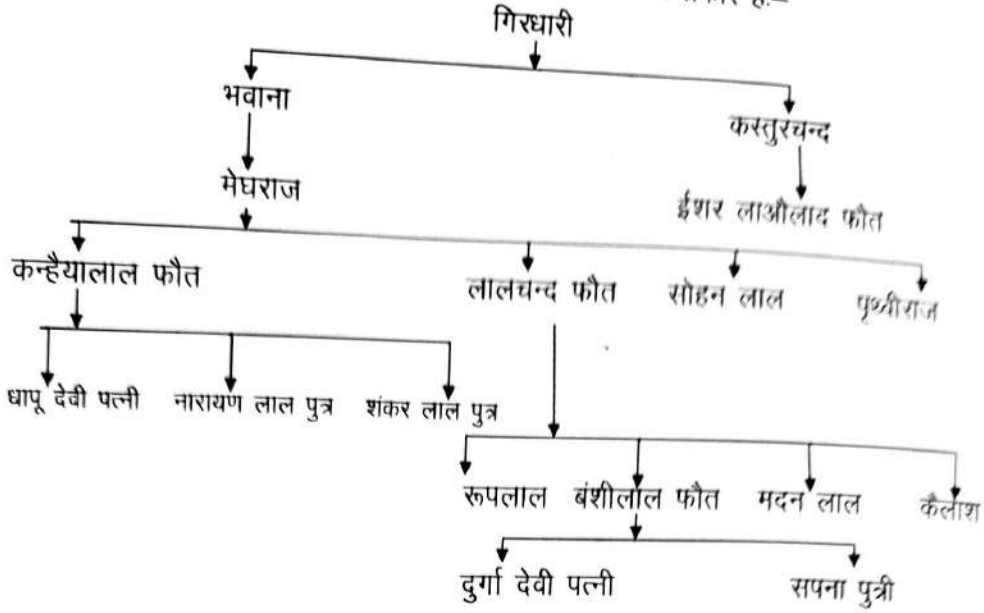

प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के संयुक्त खाते एवं संयुक्त कब्जे की पुश्तैनी एवं पैतृक कृषि आराजी संख्या 6248, 6249, 6250 कुल किता 03 कुल रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा, आराजी संख्या 6244 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा एवं आराजी संख्या 5443 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में स्थित है।

वादग्रस्त कुलिया कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण को पैतृक एवं पुश्तैनी होकर विरासत से प्राप्त हुई हैं। जिसमें मुख्य पुरूष गिरधारी होकर उनके 02 लडके भवाना एवं कस्तुरचन्द थे। जिसमें कस्तुरचन्द लाऔलाद फौत हो जाने से कस्तुरचन्द का 1/2 हक हिस्सा भवाना को प्राप्त हो गया जिसमें भवाना के 01 पुत्र मेघा होकर मेघा के कमशः 04 पुत्र हुए हैं। जिसमें वादग्रस्त कुलिया कृषि भूमि में उपर वर्णित पारिवारीक सजरे के अनुसार चारों पुत्रों का 1/4–1/4 हक हिस्सा निहित हैं और इसी अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। कन्हैयालाल फौत हो जाने से उनके वारीस विपक्षीगण संख्या 03, 04 व 05 हैं। जिनका 1/4 हक हिस्सा है एवं इसी प्रकार लालचन्द जी का भी 1/4 हक हिस्सा होकर उनके फौत हो जाने से प्रार्थीगण संख्या 01, 02 व मृतक बंशीलाल के वारीस वादी संख्या 03 व 04 हैं एवं रूपलाल विपक्षी संख्या 06 का संयुक्त रूप से 1/4 में से 1/4 अर्थात् 1/16 हक हिस्सा निहित है एवं इसी प्रकार सह खातेदार मांगू पिता श्री खुमा छीपा निवासी पुर का होकर विवादित आराजीयात में सह खातेदार के रूप में बहैसियत खातेदार दर्ज रिकोर्ड है। लेकिन लाऔलाद फौत हो जाने से कोई विधिक वारीसान नहीं होने से पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया एवं न ही उनके हक हिस्से बाबत् किसी प्रकार का कोई विवाद हैं।

प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 06 सगे भाई होकर मृतक लालचन्द जी के विधिक वारिसान है एवं मृतक लालचन्द जी का उक्त वादपत्र में वर्णित पारीवारिक सजरे एवं वादग्रस्त कुलिया आराजी में 1/4 हक हिस्सा निहित होकर इसी अनुसार प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 06 काबिज है एवं मृतक लालचन्द जी के 04 लडके होने से उनका प्रत्येक का 1/4 में से 1/4 अर्थात् 1/16 प्रत्येक व्यक्ति का हक हिस्सा निहित हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण का वादग्रस्त कुलिया आराजी में प्रार्थीगण का 3/16 एवं विपक्षी संख्या 06 का 1/16 हक हिस्सा निहित हैं और इसी अनुसार उक्त पुश्तैनी एवं मौरूसी भूमि में से विपक्षी संख्या 06 केवल मात्र 1/16 हक हिस्सा तक विक्रय रहन बय बक्षीश करने का कानूनी अधिकारी हैं। लेकिन विपक्षी संख्या 06 ने दिनांक 20.04.2011 को विपक्षी संख्या 07 को गलत तौर पर विक्रयपत्र निष्पादित करवाते हुए खसरा संख्या 6644 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा में 1/12 व खसरा संख्या 6248, 6249, 6250 में 1/16 व आराजी नम्बर 5443 में 1/8 का अवैध हस्तान्तरण विपक्षी संख्या 07 को किया गया जबकि विपक्षी संख्या 06 का 1/4 में से 1/4 अर्थात् 1/16 की हद तक बिकाव करने का अधिकारी

11/9/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

था लेकिन विपक्षी संख्या 06 ने विपक्षी संख्या 07 के पक्ष में विक्रयपत्र दिनांक 20.04.2011 को अवैध तौर पर निष्पादित किया। उक्त विक्रयपत्र प्रार्थीगण के हक हिस्से के मुकाबले प्रारंभ से शुन्य, अवैध व अकृत होने से प्रार्थीगण विकयपत्र दिनांक 20.04.2011 को निष्प्रभावी घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं एवं प्रार्थीगण को एवं विपक्षी संख्या 06 को 1/4 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अंकन फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है एवं विपक्षी संख्या 06 ने विपक्षी संख्या 07 के पक्ष में किये गये विक्रयपत्र दिनांक 20.04.2011 को निष्प्रभावी प्रार्थीगण के हक हिस्से के मुकाबले घोषित किये जाने की घोषणात्मक डिकी पारित फरमाई जावें।

वादग्रस्त कृषि भूमि पुश्तैनी और मौरूसी होकर प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 06 के संयुक्त खाते एवं कब्जे का बहामी बंटवारा हो रखा हैं एवं विपक्षी संख्या 01 व 02 का भी उक्त आराजी में 1/4 हक हिस्सा निहित हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य विभाजन नहीं होने से लगान इत्यादि को विवाद उत्पन्न होते हैं। इस कारण से प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य उपरोक्त वर्णित आराजी का विभाजन मिट्स एवं बाउन्स के आधार पर विभाजन करवाया जाकर प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 06 व 07 को 1/4 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अलग से प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के हिस्से को दर्ज फरमाया जावें। विभाजन की डिकी पारित फरमायी जावें।

विपक्षी संख्या 07 के पक्ष में विपक्षी संख्या 06 द्वारा अवैध तौर पर बिना विभाजन करवाये अपने हिस्से का गलत तौर पर अपनी सुविधा अनुसार अपना हक हिस्सा गलत तौर पर अवैध तौर पर जरिये विक्रयपत्र दिनांक 20.04.2011 को निष्पादित होकर उक्त विक्रयपत्र की आड में विपक्षी संख्या 07 जबरन ताकत के बल पर प्रार्थीगण को अपने हक हिस्से से बेदखल करने पर आमादा हैं एवं उक्त विकयपत्र में किये गये अवैध हस्तान्तरण एवं राजस्व रिकोर्ड में विपक्षी संख्या 07 का नाम दर्ज हो जाने से प्रार्थीगण के हक हिस्से से बेदखल कर उक्त आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। इस कारण से प्रार्थीगण के 1/4 हक हिस्से को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि विपक्षी संख्या 07 प्रार्थीगण जबरन बेदखल नहीं करे एवं विपक्षी संख्या 06 द्वारा विकय आराजी पर बिना विभाजन करवाये कब्जा प्राप्त नहीं करे, इस बाबत् पाबन्द फरमाया जावें एवं प्रार्थीगण को अपने हक हिस्से का उपयोग उपभोग करने देवें।

विपक्षी संख्या 7 दिनांक 31.10.2014 को मौके पर आकर प्रार्थीगण को उक्त विवादित विकयपत्र दिनांक 20.04.2011 की प्रति दिखाते हुए कहा कि उक्त आराजी मैने कय कर ली है। मै इस पर कब्जा करके रहूंगा फिर प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 7 को विपक्षी संख्या 6 के 1/16 हक हिस्सा होना ही चाहिए किया तो विपक्षी संख्या 7 ने प्रार्थीगण के साथ लड़ाई–झगडा करने पर उतारू हो गया है एवं कहा कि उक्त विकयपत्र में वर्णित हक हिस्सा प्राप्त करके रहूंगा। इस प्रकार प्रार्थीगण को उक्त विकयपत्र दिनांक 20.04.2011 की जानकारी दिनांक 31.10.2014 को होने से यह वादपत्र प्रस्तुत करने का प्रार्थीगण को वाद कारण विपक्षीगण के विरूद्ध करने का उत्पन्न हुआ है जो निरन्तर जारी है।

प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण उक्त विवादित भूमि में गलती से विपक्षी संख्या 7 के नाम पर दर्ज होने जाने से विपक्षी संख्या 7 प्रार्थीगण को मौके से जबरन लाठी के बल से बेदखल कर प्रार्थीगण की भूमि को हड़पना चाहता है और इसी उद्देश्य से विपक्षीगण ने हाल ही में दिनांक 31.10.2014 को यह धमकी दी कि उक्त विवादित भूमि का कब्जा छोड़ देना अन्यथा तुम्हे जबरन बेदखल कर कब्जा प्राप्त कर लिया जायेगा। अतः विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्ध यह घौषणा इन्द्राज दुरूस्ती व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

11/9/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है। चूंकि उक्त विवादित कृषि आराजियात को प्रार्थीगण की पुश्तैनी एवं मौरूसी होकर प्रार्थीगण के आधिपत्य में होने से प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त कर उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। अतः प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला पूर्ण रूप से साबित है और यदि प्रार्थीगण को विपक्षीगण द्वारा उक्त विवादित भूमि या उसके किसी भू–भाग से बेदखल कर दिये जाने की अवस्था में प्रार्थीगण को काफी नुकसान व अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति अर्थ में की जाना असम्भव है। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में पूर्ण रूप से साबित है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष मे विपक्षीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थनापत्र में वर्णित पारिवारीक सजरे के अनुसार वादग्रस्त कुलिया कृषि भूमि में वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 06 को 1/4 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 06 द्वारा प्रतिवादी संख्या 07 के पक्ष में किये गये विक्रयपत्र दिनांक 20.04.2011 को वादीगण के हक हिस्से के मुकाबले प्रभावहीन घोषित फरमाया जावें कि बहक वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की विभाजन की डिक्री सादर फरमायी जावें कि वादपत्र के पैरा नम्बर 01 व 02 के आधार पर विभाजन की डिक्री मिट्स एण्ड बाउन्टस् सादर फरमायी जावें एवं वादीगण को 3/16 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तदानुसार राजस्व रिकोर्ड में अंकन फरमाया जावें कि बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 07 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमाई जावें कि वादग्रस्त कृषि भूमि में किये गये विक्रयपत्र दिनांक 20.04.2011 की आड में प्रतिवादी संख्या 07 वादी की पुश्तैनी और मौरूसी जायदाद पर जबरन वादीगण को बेदखल नहीं करें एवं बिना विभाजन करवाये किसी प्रकार का नया निर्माण न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे। वादीगण को शान्तिपूर्ण तरिके से उपयोग उपभोग करने देवें इस बाबत् प्रतिवादी संख्या 07 को पाबन्द फरमाया जावें।

उक्त प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब निम्न प्रकार प्रस्तुत कर निवेदन किया कि–

पैरा संख्या 1 में वर्णित पारिवारीक सजरा सही होकर स्वीकार है।

पैरा संख्या 2 में वर्णित कुलिया तथ्य सही होकर स्वीकार है।

पैरा संख्या 3 में वर्णित कुलिया तथ्य सही होकर स्वीकार है एवं विपक्षी संख्या 6 द्वारा विपक्षी संख्या 7 के पक्ष में किया गया हस्तान्तरण गलत किया गया है।

पैरा संख्या 4 में वर्णित कुलिया तथ्य सही होकर स्वीकार है।

पैरा संख्या 5 में वर्णित कुलिया तथ्य सही होकर स्वीकार है एवं विपक्षी संख्या 6 द्वारा विपक्षी संख्या 7 के पक्ष में किया गया विक्रयपत्र दिनांक 20.04.2011 गलत तौर पर किया गया है। उक्त विकयपत्र की आड़ में विपक्षी संख्या 07 उक्त आराजीयात से बेदखल करने पर आमादा हैं।

पैरा संख्या 06 में वर्णित कुलिया तथ्य सही होकर स्वीकार हैं।

पैरा संख्या 07 में वर्णित कुलिया तथ्य सही होकर स्वीकार हैं।

पैरा संख्या 16 में जो अनुतोष प्रार्थीगण प्राप्त करना चाहते हैं वो सही होकर स्वीकार हैं।

अतः प्रार्थना है कि जवाबदाता विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 05 का जवाब रिकोर्ड पर लिया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावें।

उक्त प्रकरण में विपक्षी संख्या 06 के सम्मन बाद तामील प्राप्त होने के बावजूद भी असालतन या वकालतन उपस्थित नहीं आने से दिनांक 09.07.2025 को विपक्षी संख्या 06 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

उक्त प्रकरण में विपक्षी संख्या 07 की ओर से दिनांक 09.07.2025 को उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि–

कलम संख्या 01 प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण में उल्लेखित सजरा गलत होने से स्वीकार नहीं। प्रार्थीगण अपने पुष्ट प्रमाणों से साबित करावे ।

11/9/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

कलम संख्या 02 प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण जिस कदर लिखी स्वीकार नहीं सर्वथा गलत है। जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं ।

कलम संख्या 03 प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण जिस कदर लिखी स्वीकार नहीं, सर्वथा गलत है। अलबता उत्तरदाता विपक्षीया ने विवादित आराजियात का राजस्व रेकॉर्ड व मौके पर कब्जा देखकर विवादित आराजियात में से विपक्षी संख्या 06 के सम्पुर्ण हक हिस्से की आराजियात को जायज प्रतिफल अदा कर बजरिये रजिस्टर्ड विक्रम दिनांकित 20/04/2011 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है और उक्त आराजियात राजस्व रेकॉर्ड में उत्तरदाता विपक्षी के नाम दर्ज भी हो चुकी है।। तब से विवादित खरीदशुदा आराजियात पर काबिज हो उपयोग–उपभोग करती चली आ रही हूँ। उक्त तथ्यों की जानकारी प्रारम्भ से ही प्रार्थीगण को थी व है फिर भी प्रार्थीगण ने अब हस्तगत वाद व प्रार्थनापत्र काफी देरीना निराधार ही मात्र उत्तरदाता विपक्षीया से नाजायज तरीके से रकम ऐंठने के दुराशय से पेश किये है, जो कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है ।

कलम संख्या 04 प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण जिस कन्दर लिखी स्वीकार नहीं, सर्वथा गलत है। विपक्षी संख्या 06 ने विवादित आराजियात में से अपने सम्पुर्ण हक–हिस्से की भूमि को उत्तरदाता विपक्षीया को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया है । जिस अनुसार खरीदशुदा आराजियात उत्तरदाता विपक्षीया के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज भी हो चुकी है। ऐसी हालत में प्रार्थीगण कोई किसी प्रकार से प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 06 के साथ उत्तरदाता विपक्षीया को विवादित आराजियात का 1/4 हक–हिस्से से खातेदार काश्तकार होने की घोषणा कराने के कानुनन अधिकारी नहीं है और न ही इस अनुसार विभाजन की डिकी ही प्राप्त करने के अधिकारी है। ऐसी हालत में भी प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रार्थनापत्र कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है।

कलम संख्या 05 प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण जिस कदर लिखी स्वीकार नहीं, सर्वथा गलत है। प्रार्थीगण ने इस कलम में विपक्षी संख्या 07 के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र को गलत हक–हिस्से से निष्पादित किया हुआ होना सर्वथा गलत व झुठ अंकित किया है, जो उत्तरदाता विपक्षीया को स्वीकार नहीं। उत्तरदाता विपक्षीया ने वक्त खरीद विवादित आराजियात के राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन कर ही विवादित आराजियात खरीद की है और बाद खरीद विवादित आराजियात का सहखातेदारान के साथ सामलात में अपने हक हिस्सेनुसार उपयोग उपभोग करती चली आ रही है प्रार्थीगण राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज अपने हक हिस्सेनुसार काबिज हो उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। ऐसी हालत में उत्तरदाता विपक्षीया द्वारा प्रार्थीगण को कोई किसी प्रकार से तेदखल किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। उत्तरदाता विपक्षीया विवादित आराजियात की रेकॉर्डेड खातेदार है। इस कारण प्रार्थीगण कोई किसी प्रकार से उत्तरदाता विपक्षीया के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है ।

कलम संख्या 06 प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण जिस कदर लिखी स्वीकार नहीं, सर्वथा गलत है। प्रार्थीगण ने इस कलम में समस्त कथन निराधार व मनगढ़न्त दर्ज किये है, जो उत्तरदाता विपक्षीया को स्वीकार नहीं । प्रार्थीगण को कोई बिनायवाद उत्तरदाता विपक्षीया के विरुद्ध उत्पन्न नही दई है व न हो रही है। ऐसी हालत में भी प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रार्थनापत्र कानूनन पोषणीय न हो काविल खारिजी के है।

कलम संख्या 07 प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण जिस कदर लिखी स्वीकार नहीं, सर्वथा गलत है। इस कलम में दर्ज कथन के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने इस कलम में पुनः समस्त कथन निराधार व मनगढ़ब्त दर्ज किये है, जो उत्तरदाता विपक्षीया को स्वीकार नहीं। उत्तरदाता विपक्षीया खरीदशुदा व अपने नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हक–हिस्सेनुसार विवादित आराजियात का उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। प्रार्थीगण राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज अपने–अपने हक–हिस्सेनुसार काबिज हो उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। ऐसी हालत में उत्तरदाता विपक्षीया द्वारा प्रार्थीगण को कोई किसी प्रकार से बेदखल किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। उत्तरदाता विपक्षीया विवादित आराजियात की रेकॉर्डेड खातेदार है। इस कारण प्रार्थीगण कोई किसी प्रकार से उत्तरदाता विपक्षीया के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। ऐसे हालत में भी प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रार्थनापत्र कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है।

11/9/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

कलम संख्या 08 प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण जिस कदर लिखी स्वीकार नहीं, सर्वथा गलत है। प्रार्थीगण/वादीगण का प्रथमदृष्टया मामला किसी प्रकार से नहीं है और जब प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया मामला ही नहीं है और न सुविधा सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा न ही प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति हो रही है। उत्तरदाता प्रार्थीगण के साथ विपक्षीया विवादित आराजियात का सहखातेदार है और कानुनन सहखातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के प्रार्थीगण अधिकारी नहीं है और न ही कानूनन खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा ही जारी की जा सकती है। ऐसी हालत में भी प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है।

अंत में प्रार्थना है जो स्वीकार नहीं। प्रार्थीगण कोई किसी प्रकार की राहत उत्तरदाता विपक्षीया के विरूद्ध प्राप्त करने के कानुनन अधिकारी नही है। प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र निराधार मात्र उत्तरदाता विपक्षीया को परेशान, जलील व तंग कर नाजायज रकम ऐंठने के दुराशय से सर्वथा गलत एवं झुठा पेश किया है, जो सारहीन होने से काबिल खारिजी के है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र कानुनन पोषणीय न होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें ।

अपना कथन

प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष क्लीन हेण्ड से नहीं आये है और वास्तविकता व सही तथ्यों को छिपाते हुये हस्तगत वादपत्र पेश किया है, जो कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है ।

मामले में वास्तविकता यह है कि उत्तरदाता विपक्षीया ने विवादित आराजियात के राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन कर ही विवादित आराजियात विपक्षी संख्या 06 से जायज प्रतिफल अदा करते हुये दिनांक 20/04/2011 को बजरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से खरीद की है और बाद खरीद विवादित आराजियात का सहखातेदारान के साथ सामलात में अपने हक–हिस्सेनुसार उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। प्रार्थीगण राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज अपने हक हिस्सेनुसार काबिज हो उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त समस्त तथ्यों की जानकारी प्रार्थीगण को प्रारम्भ से रही है। फिर 'भी प्रार्थीगण ने हस्तगत प्रार्थनापत्र मात्र उत्तरदाता विपक्षीया को हैरान परेशान कर नाजायज रकम ऐंठने के दुराशय से निराधार व मनगढ़न्त आधारों पर पेश किया है, जो कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है ।

प्रार्थीगण ने हस्तगत वाद व प्रार्थनापत्र उत्तरदाता विपक्षीया के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांकित 20/04/2011 को निरस्त कराने की समयावधि ०३ वर्ष व्यतीत होने उपरान्त न्यायालय श्रीमान् में विना विक्रयपत्र को निरस्त कराये पेश किये है, जो जाहिरा बेरून मिचाद होने व कानुनन पोषणीय न होने से काबिल खारिजी के है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण कानुनन पोषणीय न होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें ।

मूलवाद में प्रस्तुत काउण्टरक्लेम की प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 28.05.2025 को स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया गया।

पत्रावली में उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवालोकन किया गया एवं संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। पत्रावली का गुणवत्तापुर्ण निस्तारण किये जाने हेतु निम्नांकित 3 बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना आवश्यक है:–

11/9/25

सहायक क...
भीलवाड़ा

1. प्रथम दृष्टया मामला:–

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम पुर की आराजी संख्या 6248, 6249, 6250, 6244, 5443 प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की पैतृक पुश्तैनी कृषि आराजियात है। वादग्रस्त कृषि आराजियात पक्षकारान् के मुख्य पुरूष गिरधारी की संपत्ति थी, जिनके दो पुत्र भवाना (भुवाना) व कस्तुरचन्द हुए। कस्तुरचन्द के लाऔलाद फौत हो जाने से कस्तुरचन्द का समस्त हक हिस्सा भुवाना के वारिस मेघराज व उसके वारिस प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के नाम वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही है। वादग्रस्त कृषि भूमि मेघराज के नाम दर्ज थी जिनके 4 पुत्र कन्हैयालाल, लालचन्द, सोहन, पृथ्वीराज हुए। इस प्रकार मेघराज का सम्पूर्ण हक हिस्सा उसके चारों पुत्रों में 1/4–1/4 समभाग से उतराधिकार में प्राप्त हुआ। मेघराज के पुत्र कन्हैयालाल व लालचन्द की मृत्यु होने से उनके विधिक वारिसों के नाम वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है। मेघराज के पुत्र लालचन्द की मृत्यु उपरान्त उनके चार पुत्र रूपलाल, बंशीलाल, मदन लाल व कैलाश हुए। इस प्रकार लालचन्द का 1/4 हिस्सा उसके चारों पुत्रों में बराबर–बराबर अंतरण हुए। अप्रार्थी संख्या 6 रूपलाल पिता लालचन्द के द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.04.2011 से अपना हक हिस्सा विपक्षी संख्या 7 श्रीमती सीमा पत्नी राकेश सिंघवी के पक्ष में पंजीकृत कर दिया गया है। राजस्व रिकॉर्ड में विपक्षी संख्या 6 का हक हिस्सा दर्ज नहीं होने से उसके द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र में अपना हक हिस्सा वास्तविक रूप से प्राप्त हक हिस्से से अधिक का अंकन करते हुए ग्राम पुर की आराजी संख्या 6244 में 1/16 के स्थान पर 1/12 व आराजी संख्या 5443 में 1/16 के स्थान पर 1/8 का विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया गया है, जिसका विपक्षी संख्या 6 को कोई हक अधिकार नहीं था। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के द्वारा जवाब पेश किया गया है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा मूलवाद के निस्तारण तक रोका जाना आवश्यक है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होता है।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि उनके द्वारा अप्रार्थी संख्या 6 को वादग्रस्त भूमि का पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित करवाये और विक्रय पत्र में अप्रार्थी संख्या 6 के द्वारा अंकित हक हिस्से अनुसार अप्रार्थी संख्या 7 को मालिकाना हक प्राप्त हुए है। अतः प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है।

प्रकरण में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य वादग्रस्त भूमि में हक हिस्सा को लेकर विवाद है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सजरे अनुसार अप्रार्थी संख्या 6 का हक हिस्सा वादग्रस्त भूमि में 1/16 होगा, परन्तु इस बात का अंतिम रूप से विनिश्चय उभयपक्षकारान् के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों–सबूतों के आधार पर तनकीयात के आधार पर संभव होगा। अतः प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है।

2. सुविधा का संतुलनः–

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की पैतृक कृषि आराजियात है जिसमें अप्रार्थीगण का हक हिस्सा है और राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 का स्पष्ट हक हिस्सा अंकन नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा अपने हक हिस्से से अधिक का विक्रय अप्रार्थी संख्या 7 के पक्ष में कर दिया गया है। अप्रार्थी संख्या 6 के अधिक हक हिस्से का विक्रय किये जाने से अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा मौके पर निष्पादित विक्रय पत्र के मुकाबले कब्जा लिये जाने का प्रयास किया जा रहा है। जिससे मौके पर वाद विवाद उत्पन्न हो रहे है। राजस्व रिकॉर्ड में हक हिस्सा सही दर्ज नहीं होने के कारण विक्रय पत्र गलत रूप से निष्पादित हुआ है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है।

11/9/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय से शून्य घोषित करवाये जाने की कोई कार्यवाही नहीं करवायी गयी है। अप्रार्थी द्वारा विक्रय पत्र के मुकाबले में पंजीकृत विक्रय पत्र की दिनांक से ही स्वतः खातेदार काश्तकार घोषित हो चुका है। अतः अप्रार्थी संख्या 7 के पक्ष में सुविधा का संतुलन का बिन्दु बखूबी प्रमाणित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि राजस्व रिकॉर्ड में हक हिस्सा दर्ज नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा अप्रार्थी संख्या 7 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र में हक हिस्से को लेकर विवाद है। उक्त बिन्दु का अंतिम रूप से निर्णय साक्ष्यों—सबूतों के संग्रहण उपरान्त ही संभव है। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होता है।

3. अपूरणीय क्षतिः—

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि उक्त विवादित कृषि आराजियात प्रार्थीगण की पुश्तैनी एवं मौरूसी होकर प्रार्थीगण के आधिपत्य में होने से प्रार्थीगण काबिज होकर कास्त कर उपयोग—उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण को विपक्षीगण द्वारा उक्त विवादित भूमि या उसके किसी भू—भाग से बेदखल कर दिये जाने की अवस्था में प्रार्थीगण को काफी नुकसान व अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति अर्थ में की जाना असम्भव है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 6 द्वारा विपक्षी संख्या 7 के पक्ष में किया गया पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 20.04.2011 गलत तौर पर किया गया है। उक्त विक्रयपत्र की आड़ में विपक्षी संख्या 07 उक्त आराजीयात से बेदखल करने पर आमादा हैं। अतः अप्रार्थी संख्या 7 को मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भुमि का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार अंतरण नहीं करने हेतु पाबंद किया जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 7 पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.04.2011 में दर्ज हक हिस्से अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार दर्ज हुआ है। अप्रार्थी संख्या 7 पंजीकृत दस्तावेज से खातेदार काश्तकार बना है। अतः अप्रार्थी संख्या 7 के विरूद्ध यदि प्रार्थीगण किसी भी प्रकार का अनुतोष चाहता है तो उन्हे सिवील न्यायालय से पंजीकृत दस्तावेज को शून्य घोषित करवाये जाने की कार्यवाही करवाई जाना आवश्यक है। अतः अप्रार्थी संख्या 7 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि राजस्व रिकॉर्ड में हक हिस्सा दर्ज नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा अप्रार्थी संख्या 7 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र में हक हिस्से को लेकर विवाद है। अतः न्यायालय का यह विधिक दायित्व है कि नवीन वाद को उत्पन्न होने से रोके तथा मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त सम्पत्ति को सुरक्षित रखने की कार्यवाही करे। अतः प्रार्थी अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपने पक्ष में साबित करने में प्रथम दृष्टया सफल रहा है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु को प्रथम दृष्टया साबित करने में सफल रहा है।

अतएवं

—: आदेश :—

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।

11/9/25

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा